पंजीकृत

कौशल विकास संचालनालय

मध्यप्रदेश

–: आदेश :–

/जबलपुर, दिनांक 2/9/11

क्रमांक कौविसं/स्थाप–प्र/सामा–203(2)/2011/ 5148 /मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा प्रशिक्षण अधिकारियों के पद के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर निम्नलिखित चयनित उम्मीदवारों को उनके अभिलेखों के परीक्षणोंपरांत एवं पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (तकनीकी) सेवा में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर वेतनमान रू0 9300–34800 + रू0 3200/– ग्रेड पे एवं अन्य भत्ते जो राज्य शासन द्वारा मान्य है, पर दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर उनके द्वारा कार्यग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक के लिए निम्न शर्तो पर नियुक्त कर पदस्थ किया जाता है :–

1. ''परीवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण अधिकारी को डी.जी.ई.टी. के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों (ए.टी.आई/सी.टी.आई.) से एक वर्षीय अनुदेशक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा । उक्त के अभाव में वेतन वृद्धि एवं उच्च पद पर पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जा सकेगा । यदि वे उक्त परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उनकी सेवाएँ मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 8(6) के अनुसार नियमित की जाकर उनकी रूकी हुई सभी वेतनवृद्धियां प्राप्त हो जावेगी ।''
2. शासन द्वारा केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण पर भेजे जाने पर कोई उम्मीदवार किन्हीं भी कारणों से प्रशिक्षण पूर्ण न कर बीच में वापिस होता है तो उस पर शासन द्वारा प्रशिक्षण पर किया गया व्यय वेतन एवं भत्तों सहित वसूली योग्य होगा ।
3. परीवीक्षा अवधि में उनकी सेवाएँ कभी भी बिना कारण बताएँ एवं बिना नोटिस दिए समाप्त की जा सकती है ।
4. कार्यग्रहण करने के उपरांत यदि स्वयं की इच्छा से सेवाएँ छोड़ना चाहते है तो एक माह पूर्व नोटिस या एक माह का पूर्ण वेतन देना होगा । इसी तरह यदि विभाग सेवाएँ समाप्त करता है तो विभाग एक माह पूर्व नोटिस अथवा एक माह का वेतन भुगतान कर सेवाएँ समाप्त कर सकेगा ।
5. कार्यग्रहण के समय चिकित्सीय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संबंधित संस्था में प्रस्तुत करना होगा ।
6. यदि किसी उम्मीदवार का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो उसकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से बिना नोटिस दिये समाप्त की जा सकेगी और उसके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा ।
7. उम्मीदवारों की आपसी वरिष्ठता मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 12(1)(क) के अनुसार व्यापम भोपाल से प्राप्त परीक्षा परिणाम की मेरिट सूची अनुसार होगी ।
8. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के तहत 01.01.05 के उपरांत नियुक्त राज्य शासन के कर्मचारियों को अंशदान पेंशन योजना

लागू होगी म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे तथा म.प्र. सामान्य भविष्य निधि लागू नहीं होंगे ।

स0 क्र.	उम्मीदवार का नाम,पिता/पति का नाम एवं पता (सर्वश्री)	आरक्षित/ अनारक्षित	व्यवसाय का नाम	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का नाम जहां पदस्थापना की गई है
1	2	3	4	5
1.	सुखलाल अहिरवार आत्मज श्री गोरेलाल अहिरवार ग्राम पोस्ट डिकौली, जिला टीकमगढ म.प्र.	एस.सी.	गणित/ड्राइंग	भिण्ड
2.	संगीता सोलंकी आत्मजा गुंजारिया सोलंकी, राममंदिर चौक, नानपुर, तह. एवं जिला अलीराजपुर म.प्र. 457887	अनु.जन.जाति	बेसिक माइक्रो प्रोसेसर एंड कम्प्यूटर आपरेशन (आटोमोबाईल सेक्टर) पोस्ट कोड 15	सिवनी
3.	श्री महेन्द्र कुमार विश्वकर्मा आत्मज श्री रामसहाय विश्वकर्मा, ढोंगा रोड़, कुंज बिहार कॉलोनी, हनुमान मंदिर के पास, टीकमगढ म.प्र. 472001	ओ.बी.सी. (विकलांग) विरूद्ध अना. महिला	वेल्डर	राजेन्द्रग्राम बेनीबारी
4.	प्रकाश उइके आत्मज स्व. श्री गोन्देराम उइके, भायदे कॉलोनी, परासिया रोड़, छिंदवाड़ा, वार्ड न.-8 [illegible], [illegible] तह. व जिला छिंदवाड़ा म.प्र. 480001	एस.टी. (भूतपूर्व सैनिक के विरूद्ध)	कम्प्यूटर आपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	सिवनी
5.	रविकांत विश्वकर्मा आत्मज श्री नत्थूप्रसाद विश्वकर्मा, कर्मवीर कॉलोनी, गुढ़ी पोस्ट पाला चौरई, तहसील जुन्नारदेव, छिंदवाड़ा म.प्र. 480449	अनारक्षित	प्रोसेस प्लांट मेकेनिकल मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग इक्यूपमेंट पोस्ट कोड 54	सागर
6.	अमित पांडे आत्मज श्री एस.सी. पांडे 94, पटेल नगर, सुहागी आधारताल जबलपुर म.प्र. 482004	अनारक्षित	बेसिक आफ ट्रांसमिशन सस्पेंशन स्टेरिंग सिस्टम एंड ब्रेकस (आटोमोबाईल सेक्टर) पोस्ट कोड 30	सिवनी

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के संबंध में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण संबंधी आदेशों एवं नियमों का पालन किया गया है ।

संचालक
कौशल विकास मध्यप्रदेश

कौशल कौशेरा / स्था ... शाखा 203(2) / 2011 / 5141 / जबलपुर, दिनांक 21/7/11

प्रतिलिपि : सूचनार्थ ... श्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

1 महालेखाकार ... ालियर ।

2 विशेष सहाय ... ीय मंत्रीजी, तकनीकी शिक्षा एव कौशल विकास विभाग म.प्र. शासन, भोपाल

3 सचिव, मध्य ... ासन, तकनीकी शिक्षा एव कौशल विकास विभाग भोपाल ।

4 संयुक्त संचा ... ीय कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, सागर ।

5 प्राचार्य / संस्थ ... ा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, भिण्ड, सिवनी, राजेन्द्रग्राम बेनीबारी, सागर मध्यप्रदेश । ... उम्मीदवार का चिकित्सीय परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करे । संबधित उम्मीदवार के कार्यग्रहण ... के पूर्व उनकी शैक्षणिक, अनुभव, जाति एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ... करें संबंधित के कार्यग्रहण प्रतिवेदन, व्यक्तिगत विवरण एवं प्रमाण पत्रों की एक–एक प्रम ... ति संचालनालय को भेजें

6 संबंधित जिल ... ा अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश ।

7 संबंधित उम्मी ... । सूचनार्थ । निर्देशित किया जाता है कि आप अपने शैक्षणिक, अनुभव, जाति ... ा एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र तथा चिकित्सीय परीक्षण प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं सत ... ापित छाया प्रति सहित संबंधित संस्था के प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत कर कार्यग्रहण करें । आपक ... ा जारी होने के 20 दिन के अंदर कार्यग्रहण करना अनिवार्य है अन्यथा आदेश स्वयमेव निरस ... ्त हो जावेगा ।

8. स्टेनो संचाल ... क्त संचालक एवं संयुक्त संचालक संचालनालय कौशल विकास मध्यप्रदेश जबलपुर ।

9. अधीक्षक / स्था ... नीय / बजट / पदक्रम सूची अनुभाग प्रभारी, संचालनालय कौशल विकास मध्यप्रदेश जब ...

संचालक
कौशल विकास मध्यप्रदेश